सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

127

एक सौ सत्ताईसवां प्रतिवेदन

[वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित समिति के 69वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई]

(03.04.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च 2023/ चैत्र 1945(शक)

विषय सूची

		पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) की संरचना		**(iii)**
प्राक्कथन		**(v)**
प्रतिवेदन	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित समिति के 69वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग) द्वारा की-गई कार्रवाई	1

परिशिष्ट

परिशिष्ट-एक	समिति के 69वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग) द्वारा की-गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण	
परिशिष्ट-दो	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की 29.03.2023 को हुई चौथी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।	

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना

(2022-2023)

श्री गिरीश चन्द्र - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्री चौधरी मोहन जटुआ
6. चौधरी महबूब अली कैसर
7. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
8. श्री मारगनी भरत
9. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
10. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
11. श्री टी.एन. प्रथापन
12. श्री एस. रामलिंगम
13. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
14. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल के. वर्मा - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का सभापति, समिति की ओर से इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित समिति के 69वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का यह एक सौ सत्ताईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. 69वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) दिनाक 17.12.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग) ने 69वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई को दर्शाते हुये दिनांक 22.09.2022 को अपने उत्तर प्रस्तुत किए। समिति ने 29.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

3. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

4. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया।

नई दिल्ली
29 मार्च 2023
चैत्र 8, 1945 (शक)

श्री गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

<u>**सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023), लोक सभा**</u>

समिति का यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) के 69वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के संबंध में है, और जिसे दिनांक 17.12.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था।

2. समिति ने 69वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में पांच टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं। सभी पांच टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार से की-गई-कार्रवाई उत्तर 22 सितम्बर, 2022 को प्राप्त हो गए थे। 69वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर <u>**परिशिष्ट-एक**</u> में दिया गया है।

3. समिति ने अपने 69वें प्रतिवेदन में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के वर्ष 2012-13 से 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों की जांच की और यह नोट करके संतुष्ट है कि मंत्रालय/सीएसआईआर यह आश्वस्त करता है कि समिति की सिफारिशों को सर्वोच्च प्राथमिकता और बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। समिति, मंत्रालय/सीएसआईआर के प्रयासों की सराहना करती है कि उन्होंने भविष्य में वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को समय से सभा पटल पर रखना सुनिश्चित करने के लिए सोसायटी के अध्यक्ष की अनुपलब्धता की स्थिति में सोसायटी के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में सोसायटी की मीटिंग बुलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सोसाइटी की अनुमति प्राप्त कर ली

है। तथापि, सीएसआईआर द्वारा किए गए इन सभी प्रयासों के बावजूद, समिति पाती है कि मंत्रालय द्वारा सीएसआईआर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को 31 दिसंबर, 2021 की निर्धारित तिथि के भीतर लोक सभा के समक्ष नहीं रखा गया है। यह मंत्रालय और सीएसआईआर दोनों द्वारा कथित तौर किए गए प्रयासों की प्रभावशीलता पर संदेह पैदा करता है। इसलिए, समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग) को सीएसआईआर के वर्ष 2020-2021 और वर्ष 2021-2022 के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को जल्द से जल्द सभा पटल पर रखने और भविष्य में यह भी सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि न केवल सीएसआईआर, बल्कि उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अन्य सभी संगठनों के अपेक्षित दस्तावेज निर्धारित समय अर्थात सम्बंधित वित्त वर्ष के 31 दिसंबर तक लोक सभा के पटल पर रखे जाएं।

नई दिल्ली
29 मार्च 2023
चैत्र 8, 1945 (शक)

श्री गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

---

*वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए अपेक्षित दस्तावेज दिनांक 29.03.2023 को रखे गए हैं।

<u>**परिशिष्ट-एक**</u>

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 02)

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (लोक सभा), सत्रहवीं लोक सभा के 69वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(सिफारिश क्र.सं. 17)

समिति नोट करती है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने के संबंध में सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के पहले प्रतिवदेन (5वीं लोक सभा) के पैरा 1.16 और 3.5, 5वीं लोक सभा के दूसरे प्रतिवेदन के पैरा 4.16 और 4.18 और 6ठी लोक सभा के दूसरे प्रतिवदेन के पैरा 1.12 और 2.6 से 3.8 जो क्रमश: 08.03.1976; 12.05.1976 और 22.12.1977 को सभा में प्रस्तुत किये गये थे, में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों में निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन नहीं किया है। सीएसआईआर के वर्ष 2012-2013 से 2017-2018 के दस्तावेजों को चार वर्ष और नौ माह से लेकर एक वर्ष और सात माह तक के विलंब से सभा पटल पर रखे गए हैं। समिति यह भी नोट करती है कि उपर्युक्त उल्लिखित सभी वर्षों में परिषद ने दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर नहीं रखा। समिति नोट करती है कि परिषद ने वर्ष 2014-2015 के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के लिए चार वर्ष से अधिक का समय लिया, जिन्हें वित्त वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर सभा पटल पर रखना आवश्यक था ।

सरकार का उत्तर:

सीएसआईआर ने संसद से संबंधित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सीएसआईआर सोसायटी के पुनर्गठन के बाद सीएसआईआर सोसायटी की बैठक दिनांक 14 फरवरी, 2020 और दिनांक 4 जून, 2021 को आयोजित की गई थी जिसमें लंबित वार्षिक प्रतिवेदनों को अनुमोदित किया गया और इसके बाद उन्हें संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। सीएसआईआर ने विलंब से बचने के लिए सोसायटी के अध्यक्ष की अनुपलब्धता के मामले में सोसायटी के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में भविष्य में सोसायटी की बैठक आयोजित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सोसायटी की अनुमति भी प्राप्त कर ली थी।

यह उपाय भविष्य में प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में होने वाले विलंब से बचने और प्रतिवेदनों को समय से सभा पटल पर रखना सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

सीएसआईआर समिति को आश्वस्त करती है कि समिति की टिप्पणियों और सुझावों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और उन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डीएसआईआर/सीएसआईआर कार्यालय ज्ञापन सं.26-5(177)/2021-पीयू दिनांक 21.06.2022

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (लोक सभा), सत्रहवीं लोक सभा के 69वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(सिफारिश क्र.सं. 18)

सीएसआईआर के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों की जांच करते हुए, समिति नोट करती है कि अनुचित विलंब हुआ था क्योंकि लगातार चार वर्षों अर्थात् 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18-19 तक सोसायटी की बैठक नहीं हुई थी। समिति पाती है कि अंतत: 14 फरवरी, 2020 को सोसायटी की बैठक हुई और तत्पश्चात इन वर्षों के दस्तावेजों को 22 सितंबर, 2020 को सभा पटल पर रखा गया था। समिति इसे गंभीरता से लेती है और मंत्रालय से नया तंत्र विकसित करने के लिए कहा है, जिससे सीएसआईआर के इन दस्तावेजों के अनुमोदन के कार्यकरण में सुधार होगा।

सरकार का उत्तर:

माननीय समिति को यह बताया जाता है कि सीएसआईआर ने दिनांक 14.2.2020 को आयोजित अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखाओं को अनुमोदित करने के लिए भविष्य में माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में सोसायटी की बैठक में आयोजित करने के लिए छूट प्राप्त कर ली है, ताकि सीएसआईआर इन्हें संसद के पटल पर रखने के लिए सक्षम हो सके।

माननीय समिति की सिफारिशों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डीएसआईआर/सीएसआईआर कार्यालय ज्ञापन सं.26-5(177)/2021-पीयू दिनांक 21.06.2022

सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (लोक सभा), सत्रहवीं लोक सभा के 69वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

(सिफारिश क्रम सं. 19)

समिति आगे नोट करती है कि प्रतिवेदन में 31 महीने, 19 महीने, 57 महीने, 45 महीने, 33 महीने और 21 महीने का विलंब हुआ है। समिति खेद व्यक्त करती है कि भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाले सम्मानित संस्थान ने इतने लंबे विलब के साथ अपने प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत किए।

सरकार का उत्तरः

सीएसआईआर ने वार्षिक प्रतिवेदनों और वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत करने में हुए विलंब पर माननीय समिति की टिप्पणियों को नोट कर लिया है।

उक्त वर्षों के दौरान, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण विलंब हुए। सीएसआईआर ने इस मुद्दे को अत्यधिक गंभीरता से लिया है और माननीय प्रधान मंत्री द्वारा अध्यक्षता की गई सोसायटी की बैठक में अनुमति प्राप्त की है ताकि संसद के दोनों सदनों के पटल पर वार्षिक प्रतिवेदनों और वार्षिक लेखाओं को समय पर सभा पटल पर रखना सुनिश्चित करने और समय-सीमा का अनुपालन करने के लिए भविष्य में सोसायटी की बैठकों की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जा सके।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डीएसआईआर/सीएसआईआर कार्यालय ज्ञापन सं.26-5(177)/2021-पीयू दिनांक 21.06.2022

सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (लोक सभा), सत्रहवीं लोक सभा के 69वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

(सिफारिश क्रम सं. 20)

समिति नोट करती है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय सीएसआईआर के दस्तावेज संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखना सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने में स्पष्ट रूप से सक्षम नहीं रहा था। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करे कि अब 2018-19 से सीएसआईआर के 'दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर सभापटल पर रखे जाएं।

सरकार का उत्तरः

माननीय समिति से निवेदन किया जाता है कि सीएसआईआर में दिनांक 14.02.2020 को आयोजित अपनी सोसायटी की बैठक में छूट प्राप्त करती है ताकि वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखाओं को अनुमोदन प्रदान करने के लिए भविष्य में माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में सोसाइटी की बैठक आयोजित की जा सके ताकि सीएसआईआर इन्हें संसद के पटल पर रखने में सक्षम हो सके। माननीय समिति की सिफारिशों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है

वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे दिनांक 9 दिसंबर, 2021 को राज्य सभा में रखे गए थे। वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे दिनांक 1 दिसंबर, 2021 को और वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखे दिनांक 15 दिसंबर, 2021 को लोक सभा में रखे गए थे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डीएसआईआर/सीएसआईआर कार्यालय ज्ञापन सं.26-5(177)/2021-पीयू दिनांक 21.06.2022

सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (लोक सभा), सत्रहवीं लोक सभा के 69वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

(सिफारिश क्रम सं. 21)

समिति का मानना है कि संस्थान के दस्तावेज को समय पर सभापटल पर रखने लिए किसी को उत्तरदायी बनाया जाए और सोसाइटी की बैठक हर वर्ष हो। समिति परिषद को निर्देश देती है कि संसद के समक्ष समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाए और आशा करती है कि वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लंबित दो प्रतिवेदन यथाशीघ्र सभापटल पर प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

सरकार का उत्तर

सीएसआईआर सोसायटी के पुनर्गठन के बाद, सीएसआईआर सोसायटी की बैठकें दिनांक 14 फरवरी, 2020 और दिनांक 4 जून 2021 को संपन्न हुई थी, जिनमें वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन/वार्षिक लेखा को अनुमोदन प्रदान किया गया था और बाद में संसद के समक्ष रखा गया था। वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे दिनांक 9 दिसंबर, 2021 को राज्य सभा में रखे गए थे और 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे दिनांक 1 दिसंबर, 2021 को और वर्ष 2019-20 के दिनांक 15 दिसंबर, 2021 को लोक सभा में रखे गए थे।

सक्षम प्राधिकारी ने प्रमुख, विज्ञान संचार और प्रसार निदेशालय (एससीडीडी), सीएसआईआर और वित्त सलाहकार, सीएसआईआर को क्रमशः वार्षिक प्रतिवेदनों

और वार्षिक लेखाओं को समय पर तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के रूप में नामित किया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डीएसआईआर/सीएसआईआर कार्यालय ज्ञापन सं.26-5(177)/2021-पीयू दिनांक 21.06.2022

<u>**परिशिष्ट-2**</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की 29.03.2023 को हुई चौथी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23)</u>

समिति की बैठक गुरुवार, 29 मार्च, 2023 को 15:00 बजे से 16:00 बजे तक समिति कमरा सं. 'ग ', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री गिरीश चन्द्र - ***सभापति***

सदस्य

(लोक सभा)

2. **श्री शफीकुर्रहमान बर्क**
3. श्री चौधरी मोहन जटुआ
4. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
5. श्री टी.एन. प्रथापन

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल के. वर्मा - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों का बैठक में स्वागत किया और उन्हें कार्यसूची से अवगत कराया।

3. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित 6 प्रारूप प्रतिवेदनों और 6 कीगई कार्रवाई- प्रतिवेदनों पर विचार करने और स्वीकार करने के लिए लिया - :

1. x x x x x;
2. x x x x x;
3. x x x x x;
4. x x x x x;
5. x x x x x;
6. x x x x x;
7. x x x x x
8. x x x x x
9. x x x x x
10. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित समिति के 69वें प्रतिवेदन में (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर वैज्ञानिक और औद्योगिक विभाग अनुसंधान के द्वारा की गई कार्रवाई
11. x x x x x
12. x x x x x

समिति द्वारा 6 प्रारूप प्रतिवेदनों और 6 की-गई कार्रवाई प्रतिवेदनों पर विचार किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। सभापति को समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए प्रधिकृत किया गया ।

xx xx xx xx

(बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रखी जाती है।)

इसके बाद समिति स्थगित हो गई।

****